

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1) अलेसे-11/ 15322-28

दिनांक:- 10 सितम्बर 2013

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 203/2012-13 दिनांक 21 अगस्त 2013 में क्रम संख्या 5 पर अंकित श्री संदीप कुमार लाटा के नाम के सामने कालम संख्या 8 में "कोषालय उदयपुर ग्रामीण जिला उदयपुर" के स्थान पर "अतिरिक्त आयुक्त(माडा), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर" शुद्धि अंकित कर पढा जावे ।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(1) अलेसे-11/ 15322-28

दिनांक:- 10 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

10. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
12. कोषाधिकारी उदयपुर ग्रामीण जिला उदयपुर
13. अतिरिक्त आयुक्त (माडा) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था कराये ।
14. श्री संदीप कुमार लाटा S/O श्री रज्जुगोपाल, 1/414, न्यू विद्याधर नगर, जयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अविलम्ब उक्त कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
15. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
16. निजी सहायक, निदेशक
17. गोपनीय शाखा
18. रक्षित/निजी पत्रावली


(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)